



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236445
CG-DL-E-09062022-236445

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416]
No. 416]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2022/ज्येष्ठ 19, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2022/JYAISHTHA 19, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

सा.का.नि. 437(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उप-धारा (2) के खंड (गग) और उप-धारा (2ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (मुख्य कार्यपालक और प्रबंध निदेशकों को उपदान का संदाय) नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (मुख्य कार्यपालक और प्रबंध निदेशकों को उपदान का संदाय) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) इन्हें 1 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (मुख्य कार्यपालक और प्रबंध निदेशकों को उपदान का संदाय), नियम, 1997 में,-

(i) नियम 3 को उसके उप-नियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार यथा-पुनर्संख्यांकित उप-नियम (1) में निम्नलिखित शब्दों और कोष्ठकों का लोप जाएगा, अर्थात्:-

“इस प्रकार संगणित उपदान की रकम जब उपदान उसे शोध्य और संदेय हो जाता है, उस उपदान की रकम से कम नहीं होगी, जिसका, यदि ऐसा व्यक्ति जो न प्रबन्धक (चयन श्रेणी) के श्रेणी में बना रहता, वह हकदार होता।”;

(ii) नियम 3 में, इस प्रकार यथा पुनर्संख्यांकित उप-नियम (1) की व्याख्या के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे मुख्य कार्यपालक या प्रबंध निदेशक, जो 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवा में थे, को संदेय उपदान की रकम जब उपदान उसे शोध्य और संदेय हो जाता है, उस उपदान की रकम से कम नहीं होगी, जिसका, यदि, वह जोन प्रबन्धक (चयन श्रेणी) की श्रेणी में बना रहता, वह हकदार होता।”;

[ई. फा. सं. एस-11011/15/2017-बीमा-I(अ)]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने मुख्य कार्यपालक या प्रबंध निदेशक को उपदान के संबंध में उपबंध को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (मुख्य कार्यपालक और प्रबंध निदेशकों को उपदान का संदाय) नियम, 1997 को 1 जनवरी, 1996 से संशोधित किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में 14 फरवरी, 1997 की सा.का.नि. सं. 77(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् 14 अगस्त, 2001 की सा.का.नि. सं. 593(अ), 22 सितंबर, 2004 की सा.का.नि. सं. 631(अ) और 7 जुलाई 2021 की सा.का.नि. सं. 478(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2022

G.S.R. 437(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) and sub-section (2B) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Payment of Gratuity to the Chief Executive and Managing Directors) Rules, 1997, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Payment of Gratuity to the Chief Executive and Managing Directors) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Payment of Gratuity to the Chief Executive and Managing Directors) Rules, 1997,—

(i) rule 3 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and in sub-rule (1) as so renumbered, the following words and brackets shall be omitted, namely:—

“The amount of gratuity so calculated shall not be less than the amount of gratuity such person would have been entitled to, had he continued in the grade of Zonal Manager (Selection Grade), when the gratuity becomes due and payable to him.”;

(ii) in rule 3, after the Explanation to sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the amount of gratuity payable to Chief Executive or Managing Director who was in service on or after 1st January, 1996, shall not be less than the amount of gratuity that he would have been entitled to, had he continued in the grade of Zonal Manager (Selection Grade) when the gratuity becomes due and payable to him.”.

[eF. No. S-11011/15/2017-Ins.I (E)]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

1. The Central Government has accorded approval to revise the provision regarding gratuity to Chief Executive or Managing Director. Accordingly, the Life Insurance Corporation of India (Payment of Gratuity to Chief Executive and Managing Directors) Rules, 1997 is amended with effect from 1st January, 1996.
2. It is certified that no officer of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. No. 77(E), dated 14th February, 1997, and subsequently amended vide G.S.R. No. 593(E), dated 14th August, 2001, G.S.R. No. 631(E), dated 22nd September, 2004 and G.S.R. No. 478(E), dated 7th July, 2021.